न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—216/2019/225 (2016/00219)

1. रामअवतार पुत्र राधाकिशन दत्तक पुत्र सुवालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी गैजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. कैलाशचन्द पुत्र राधाकिशन दत्तक पुत्र सुवालाल, जाति ब्राहमण, नि0 गैजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
2. छीतर पुत्र राधाकिशन दत्तक पुत्र सुवालाल, जाति ब्राहमण, निवासी गैजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
3. प्रहलाद पुत्र राधाकिशन दत्तक पुत्र सुवालाल, जाति ब्राहमण, निवासी गैजी, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
4. चन्दा देवी पत्नि गोविन्दराम, जाति ब्राहमण्, निवासी गैजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
5. गंगाविशन पुत्र बालूराम, जाति ब्राहमण, निवासी गैजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
6. मालीराम पुत्र हनुमान, जाति ब्राहमण, निवासी गैजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
7. शान्तिलाल पुत्र हनुमान, जाति ब्राहमण, निवासी गैजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
8. किशनलाल पुत्र हनुमान, जाति ब्राहमण, निवासी गैजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
9. गुलाब पुत्र हनुमान, जाति ब्राहमण, निवासी गैजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
10. गौरीशंकर पुत्र हनुमान, जाति ब्राहमण, निवासी गैजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
11. भोलू पुत्र रूपनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी गैजी, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
12. अमरचन्द पुत्र रूपनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी गैजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
13. बनवारी पुत्र रूपनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी गैजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
14. रतन पुत्र रूपनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी गैजी, तहसी दूदू, जिला जयपुर ।
15. राजकुमार पुत्र बालू, जाति ब्राहमण, निवासी गैजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
16. रामस्वरूप पुत्र बालू, जाति ब्राहमण, निवासी गैजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
17. ब्रान्च मैंनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा, दूदू, जिला जयपुर ।
18. हरिपुरी पुत्र गेन्दपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी गैजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू, जिला जयपुर दिनांक 20.1.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 178/2012.

उपस्थितः—

1. श्री दीपक पारीक, वकील अपीलांट ।
2. श्री बी0एल0शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 10.
3. श्री महेन्द्र चौहान, वकील रेस्पो0 संख्या 16.
4. रेस्पो0 संख्या 1 से 9, 12 से 15, 17 व 18 अनुपस्थित ।
5. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 11.

निर्णय

दिनांकः— 12.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 20.1. 2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेंटस संख्या 2 लगायत 19 के प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 स्वर्गीय बालूराम के वारिसान है तथा खातेदारी जमीन वाके ग्राम गैजी, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है । प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में सजरा खानदान अंकित कर कथन किया कि सुवा एवं गोविन्दराम, गिरधारी नाऔलाद रहे तथा राधाकिशन सुवा के साथ रहा, जिससे प्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 का राधाकिशन पुत्र सुवा की भूमि के स्वामी नहीं रहे है तथा गोविन्दराम गंगाविशन के साथ रहे, जिससे गंगाविशन के 1/8+1/16 हिस्सा गोविन्दराम की सम्पति पर काबिज है तथा गिरधारी नाऔलाद होने से अप्रार्थी संख्या 15 के पुत्र गौरीशंकर को गोद ले लिया जिससे गिरधारी की सम्पति गौरीशंकर के नाम दर्ज हुई तथा रामस्वरूप ने अपना हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 के हक में छोड़ रखा है जिस पर वर्ष 1984 से प्रार्थी संख्या 2 काबिज काश्त है । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की आराजियात निम्नानुसार है, खाता संख्या 210 के आराजी खसरा नंबर 111 रकबा 08 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 228/1072 रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 229 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 230 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 231 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 232 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 233 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 234 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 235 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 236 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 237 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 238 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 239 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 240 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 241 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 242/1044 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 462 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 463 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 523 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 530 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 532 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नबर 708/2 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 22 कुल रकबा 66 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम गैजी तहसील मौजमाबाद में स्थित है । राजस्व रिकार्ड में अंकन होने के पश्चात् प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा निम्नानुसार

हकत्याग द्वारा हिस्सा प्राप्त किया है जो निम्न प्रकार से है । खसरा नंबर 523 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 530 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 532 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा गंगाबिशन पुत्र बालू हिस्सा 1/8 बजाय कैलाशचंद पुत्र राधाकिशन के नाम दर्ज हुआ । खसरा नंबर 708/2 रकबा 16 बिस्वा मालीराम, शांतिलाल, किशन, हनुमान, गुलाब पत्नि हनुमान हिस्सा 1/8, गंगाविशन पुत्र बालू हिस्सा 1/8 के बजाय छीतरमल, रामोतार, कैलाशचंद, प्रहलाद पुत्रान राधाकिशन हिस्सा 1/4 स्वीकार हुआ । खसरा नंबर 462 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 463 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा पर मालीराम, शांतिलाल, किशन पुत्रान हनुमान, गुलाब पत्नि हनुमान हिस्सा 1/8 गंगाबिशन पुत्र बालू हिस्सा 1/8 के बजाय रामोतार पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/4 दर्ज हुआ। खसरा नंबर 523 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 530 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 532 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा पर चन्दादेवी पत्नि गोविन्दनारायण हिस्सा 1/16 कौम ब्राहमण के बजाय प्रहलाद पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/16 दर्ज हुआ । खसरा नंबर 708 रकबा 16 बिस्वा भोलूराम, अमरचंद, बनवारी, रतनलाल, राजकुमार पुत्रान स्व0 रूपनारायण हिस्सा 1/8 के बजाय छीतरमल, रामोतार, कैलाशचंद, प्रहलाद पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/3 दर्ज हुआ । खसरा नंबर 462 रकबा रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 463 रकबा 7 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा पर भोलूराम, अमरचंद, बनवारी, रतनलाल, राजकुमार पुत्रान रूपनारायण हिस्सा 1/8 के बजाय रामोतार पुत्र राधाकिशन 1/8 हिस्सा दर्ज हुआ है । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2, /8 हिस्से एवं हकत्याग से प्राप्त हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 15 का हिस्सा जो प्रार्थी संख्या 2 के पास है, इस प्रकार प्रार्थी संख्या 2 का 2/28 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 5 के हिस्सा संपूर्ण अर्थात् प्रार्थी संख्या 2 का 2/8 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा एवं संपूर्ण 1/8 हिस्सा 1/4+1/8 हिस्सा है । इस प्रकार प्रार्थी संख्या 2 काबिज काश्त रहकर उपयोग करता आ रहा है । अप्रार्थी संख्या 3 का 1/16 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 4 का 1/16+1/8 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 5 व 1/8 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 9 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 14 का 1/8 हिस्सा है । अप्रार्थी संख्या 15 का उक्त आराजियात में कोई हिस्सा नहीं है तथा न ही कभी कब्जा रहा है । प्रार्थीगण ने विभाजन हेतु अप्रार्थीगण को कई बार कहा लेकिन दिनांक 29.8.2012 को विभाजन से इंकार हो गये तथा आरायिजात का विक्रय करने की धमकी दी इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया है । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 20.1.2016 को प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने बिना राजस्व रिकार्ड व पत्रावली का अवलोकन किये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निरस्त किया है, जबकि अपीलांटस ने अपने वाद को पूर्ण रूप से राजस्व रिकार्डसे साबित किया है लेकिन अधी0न्याया0 ने अपीलांट को नहीं सुनकर बिना पत्रावली व रिकार्ड पर गौर किये मनमानी रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अधी0न्याया0 का आदेश नॉन–स्पीकिंग आदेश है जो आदेश की परिभाषा

में नहीं आता है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु आदेश में कोई कारण अंकित नहीं किये है । न्याय का तकाजा है कि विवादित आराजी को सरंक्षित किया जाना चाहिये जिससे बाद वाहुल्यता नहीं बढ़े। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे अपीलांट की आराजिया तमें अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलदांजी न स्वंय करे न अन्य से करावे तथा न ही अपीलांट को बेदखल करे न ही विवादित आराजियात को अन्यंत्र रहन, बेचान, मुन्तकिल आदि करे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 ने मिलकर अधी0न्याया0 के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया था जब उक्त प्रकरण में स्थगन खारिज हुआ तो रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 से आदेश की सत्य प्रति दिनांक 10.2.2016 को प्राप्त कर जयपुर अधिवक्ता से संपर्क कर अपील पेश करनी की कार्यवाही में व्यस्त रहा। जयपुर के अधिवक्ता ने पहले तो कहा कि अपील जयपुर में पेश हो जायेगी लेकिन काफी समय बाद कहा कि अपील जयपुर में पेश न होकर अजमेर में होगी। इस पर अपीलांट ने जानकारी कर दूदू स्थित अधिवक्ता से जानकारी कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 10 व 16 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । सुवालाल ने प्रार्थीगण को कभी भी गोद नहीं लिया है एव ना ही अप्रार्थी छीतर व प्रहलाद को गोद लिया है । खातेदार सुवालाल की जमीन हड़पने की नियत से प्रार्थीगण/अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने स्वंय को सुवालाल का दत्तक पुत्र होना बताकर प्रार्थना पत्र पेश किया है । कानूनन दत्तक पुत्र एक ही हो सकता है चार नहीं । स्व0 सुवालाल की सम्पति हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के अनुसार निर्वसयती होने से समान रूप से राधाकिशन, गोविन्दराम, हनुमान, गंगाविशन, गिरधारी, रूपनारायण, रामस्वरूप में बराबर–बराबर अनुपात में बटनी चाहिये किन्तु प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने गलत रूप से सुवालाल की जमीन का नामांतकरण अपने नाम खुलवा लिया जो गलत है । बहस में यह भी कथन किया कि गौरी शंकर को गिरधारी ने कभी गोद नहीं लिया है ना ही अप्रार्थी संख्या 15 ने अपना कोई हक व हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में छोड़ा है बल्कि अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त है । प्रार्थीगण ने सुवा की आराजियात हड़पने की नियत से वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे साबित करने में असफल रहने के कारण अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण/अपीलांट कैलाशचंद्र एवं रामअवतार ने अधी0न्याया0 के समक्ष

वाद एवं प्रार्थना पत्र में स्वंय को सुवा का दत्तक पुत्र बताते हुए वाद एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश किया है । अप्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष जवाब पेश कर कथन किया कि स्व0 सुवालाल की सम्पति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार निर्वसयती होने से समान रूप से राधाकिशन, गोविन्दराम, हनुमान, गंगाविशन, गिरधारी, रूपनारायण, रामस्वरूप के हिस्से में बराबर–बराबर अनुपात में बटनी चाहिये किन्तु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने गलत रूप से सुवालाल की जमीन का नामांतकरण अपने नाम खुलवा लिया है जो गलत है । अप्रार्थी संख्या 8 गौरीशंकर को गिरधारी ने गोद लिया है किन्तु अप्रार्थी संख्या 15 ने अपना कोई हक हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में नहीं छोड़ा है बल्कि अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । अपीलांट को विवादित आराजियात में क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इन सब तथ्यों का निर्धारण बाद साक्ष्य मूल वाद में किया जावेगा । किन्तु वर्तमान अप्रार्थीगण विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें कानूनन किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.1.2016 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर